THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (c). With a view to intensity tribal development effort all areas with more than 50 per cent tribal concentration, besides the existing Scheduled Areas, were delineated in various States/UTs. Special programmes were prepared for these areas under tribal sub-plan. Highest priority was accorded to elimination of exploitation in the new programmes. The Fifth Schedule of the Constitution makes special provision for the administration of tribal areas and provides for a broad and flexible frame for effective legal and administrative action. A review of the sub-plan areas in States having Scheduled Areas brought out that while bulk of the sub-plan areas was covered under the Fifth Schedule some areas were outside. This presented an anomalous situation since effective simultaneous action could not be taken throughout the sub-plan area. It was, therefore, decided that the area covered under the Fifth Schedule in various State may be rationalised so that the scheduled areas may cover the entire sub-plan area in these States.

The rationalisation has been completed in the States of Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa. In the case of Maharashtra and Rajasthan, the matter is under consideration of Government of India.

नई औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन के लिये उपाय

188. **श्री आर० डी० गट्टानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की नई औद्योगिक नीति के घोषणा के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ;

(ख) औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद कितन नये घरेलू और कुटीर उद्योगों की स्थापना की गई है ;

(ग) क्या घरेलू और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो नीति सूती कपड़ा उद्योग के बारे में अपनाई जाती है, वैसी ही नीति चमड़ा उद्योग के बारे में अपनाई जायगी ; और

(घ) तेल साबुन जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं के उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : (क) संसद् के समक्ष रखी गई औद्योगिक नीति में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में व्यापक रूप से फैले कुटीर और लघु उद्योगों के प्रभावी सम्बर्धन पर विशेष जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औद्योगिक नीति विवरण में अन्य बातों के साथ साथ प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है जहां एक ही स्थान पर लघु और ग्रामीण उद्यमियों के लिए अपेक्षित सभी सेवाएं और समर्थन प्रदान किए जायेंगें। जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने हेतु राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया था जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही है। औद्योगिक लाइसेंस नीति में उल्लिखित 'नई खादी' सम्बन्धी कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम में संशोधन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस सम्बन्ध में संसद् के 1978 के बजट सत्र में एक विधेयक पेश किए जाने की आशा है।

केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सावधिक संवीक्षा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न उद्योगों पर यथास्थिति प्रलेख तैयार करने

के लिए विभिन्न अध्ययन दलों का गठन किया गया है ।

जहां तक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है राज्य सरकारों के मुख्य मन्त्रियों/संघ शासित प्रशासनों के प्रशासकों से औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन करने के लिए अभ्युपाय करने का अनुरोध किया गया है । महानगरों और शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है उनकी इन क्षेत्रों में स्थापना करने के लिए समर्थन न देने हेतु अलग से निर्देश दिए गए हैं ।

नीति विवरण में परिकल्पित खास तौर से अनुषंगीकरण (सहायक उद्योग) कार्यक्रम पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं ।

सरकारी क्षेत्र के चुने हुए उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभोगिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधाएं और प्रक्रियायें तैयार करने हेतु अभ्युपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) औद्योगिक नीति विवरण लोक सभा के सभापटल पर 23 दिसम्बर, 1977 को रखा गया था अतएव, नई औद्योगिक एककों की स्थापना करने के सम्बन्ध में नीति के प्रभाव को अभी आंकना समयपूर्व होगा ।

(ग) और (घ) औद्योगिक नीति विवरण में अन्य बातों के साथ–2 इस बात पर बल दिया गया है कि जूतों एवं साबुन का उत्पादन करने के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रम बनाये जायेंगे जिससे देश में इन वस्तुओं के कुल उत्पादन में ग्रामोद्योगों का अंशदान प्रगामीरूप से बढ़े । केवल लघु क्षेत्र में ही विकास करने के लिए चमड़ा तथा चमड़े के जूतों का आरक्षण किया गया है । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बिनौलों की पिराई की मद विशेष विनियमों के अधीन अधिशासित की जा चुकी है । ऐसा कुटीर उद्योग के क्षेत्र में इस प्रकार के एककों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है । विशेष विनियमों से अधिशासित उपक्रमों द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है चाहे इस विनियमन के अन्तर्गत आने वाली वस्तु के उत्पादन के लिए निवेश राशि कुछ भी हो ।

Lowest and Highest Capacity Utilisation in the Small Scale Sector

189. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the extent of unutilised industrial capacity in the small scale sector and which five industries have the lowest capacity utilisation and which five industries have the highest capacity utilisation in this sector;

(b) what is the capacity utilisation in different industries looked after by the Directorate General of Technical Development during 1974, 1975, 1976 and 1977; and

(c) which are the industries in which capacity utilisation has increased as a result of export sales and in which industries can capacity utilisation be increased as a result of export promotion measures?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) The extent of unutilised capacity in the small scale sector is about 47 per cent. The five industries with lowest capacity